संख्या– /XXVIII-4-2017-67(5)/2014

प्रेषक,

अरविन्द सिंह पांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

**विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में RCH Flexipool and NRHM Additionalities हेतु भारत सरकार से प्रथम अनुदान के रूप में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/1/25/2017–18/टी0सी0–1/28669, दिनांक 01.11.2017 एवं निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र संख्या–UAHFWS/NHM/PM/2017-18/2092, दिनांक 21.11.2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यकम के अन्तर्गत **RCH Flexipool and NRHM Additionalities** कार्यकम के संचालनार्थ वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से प्रथम अनुदान के रूप में भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के माध्यम से प्राप्त 90 प्रतिशत केन्द्रांश रू0 72,60,00,000/–(रूपया बहत्तर करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युएल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. उक्त अवमुक्त धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित कर व्यय की जायेगी। अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार शासन को सूचित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा **धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय से भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।**

4. उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार के आदेशानुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु महानिदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 संगत लेखाशीर्षक 2210–03–110–01–0104–20 के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–ऑलेटमेंट आईडी।</u>

भवदीय,

**(अरविन्द सिंह पांगती)**
उप सचिव।

**संख्या– 1299(1)/XXVIII-4-2017-67(5)/2014, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त–1/नियोजन विभाग
7. चिकित्सा अनु0–5/एन0आई0सी0।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

**(सुनील कुमार सिंह)**
अनु सचिव।

E:\back up sachiv\Adhikari 2017\NHM\G.O. Final1.doc NRHM Budget